



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

पत्रांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-73 / 2020

दिनांक 14.04.2020

सूचना

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने के संबंध में दिनांक 14 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील के अनुसार पूरे देश को दिनांक 03 मई 2020 तक लॉकडाउन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 03 मई 2020 तक विश्वविद्यालय के समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएँ यथावत जारी रहेंगी।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
कार्यकारी कुलसचिव

14/04/2020

प्रति (ईमेल) : समस्त संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मि